न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी अंजली राजोरिया आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 47/2018

रेना मूलचंदानी पुत्री मनोहर लाल मूलचंदानी जाति सिन्धी निवासी 1307/6 मलूसर रोड अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

आदेश दिनांक 18.12.2018

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि प्रार्थियां की जरखरीद खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम दौराई पटवार हल्का दौराई भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अजमेर प्रथम तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 एवं आधारभूत जमाबंदी संवत 2065 से 2084 तथा 2069 से 2072 तथा वर्किग खसरा नम्बर 545 रकबा 04–04–10 के आधारभूत/वर्तमान खसरा नम्बर 335/2936 रकबा 0.68 में से 0.13 हैक्टर है। वर्किग खसरा संख्या 545 रकबा 0–16–11 जिसके आधारभूत/वर्तमान खसरा संख्या 335/2936 रकबा 0.13 बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आराजीयात प्रेम पुत्री लाला गुर्जर थे जो खातेदार काश्तकार थे जिन्को उक्त आराजीयात नामान्तरण संख्या 61 दिनांक 01.03.1990 से बंटवारा में प्राप्त हुई । प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के वर्किग खसरा संख्या 545 रकबा 04–04–10 के तन्हा खातेदार काश्तकार प्रेम पुत्री लाला ने अलग–अलग रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा अपनी खातेदारी आराजी के रकबा 04–04–10 में से केता प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पुखराज अग्रवाल, सुरेश बंसल पुत्रगण रामगोपाल जी अग्रवाल निवासी रामभवन नया बाजार को रकबा 01–18–06 बीघा बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 15.07.1995 स्वीकार किया जाकर उक्त केता के नाम अधिकार अभिलेख में खातेदारी का अमल दरामद दिया । केता रमेशचंद परयानी पुत्र कुन्दोमल परयानी जाति सिन्धी निवासी प्लाट संख्या 21 अशोक मार्ग आनासागर लिंक रोड अजमेर को रकबा 00–16–11 बीघा बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 06.08.1998 स्वीकार किया जाकर उक्त केता के नाम अधिकार अभिलेख में खातेदारी का अमल दरामद किया । केता पूजा साहू पत्नी कमलकांत साहू जाति तेली निवासी पुष्कर रोड अजमेर को रकबा 01–09–13 बीघा बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 546 दिनांक 20.11.2006 स्वीकार किया जाकर उक्त केता के नाम अधिकार अभिलेख में खातेदारी का अमल दरामद किया , जो वर्किग जमाबंदी सम्वत 2041 में अंकित प्रविष्टि से सिद्व है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 ब खसरा संख्या 545 मिन रकबा 0–16–11 बीघा 0.13 हैक्टर के नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 06.08.1998 खातेदार/काश्तकार रमेश चन्द परयानी पुत्र कुन्दोमल परयानी जाति सिन्धी निवासी प्लाट संख्या 21 अशोक मार्ग आनासागर लिंक रोड अजमेर ने

Scanned with CamScanner

उक्त अपनी खातेदारी आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा प्रार्थीया केती रेना मूलचंदानी पुत्री मनोहरलाल मूलचंदानी को बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 749 दिनांक 22.12.2007 स्वीकार किया जाकर उक्त केती के नाम अधिकार अभिलेख वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी का अमल दरामद कर दिया, वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के पश्चात नई आधारभूत जमाबंदी सम्वत 2065–2084 मुर्तिब करते समय बिना सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना प्रार्थीया द्वारा उसकी खातेदारी आराजीयात का बिना रहन बय, दान, वसीयत आदि मुन्तकिल किये एवं बिना पूर्व जमाबंदी के इन्द्राज को देखे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बन्दोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करने का अधिकार नही होते हुए भी वर्किंग जामबंदी में अंकित प्रार्थियां के नाम नामान्तकरण संख्या 749 दिनांक 22.12.2007 से हुए खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि को अकारण ही परिवर्त्ति करते हुए उसके स्थान पर प्रेमी पुत्री लाला कौम गुर्जर के नाम त्रुटिपूर्ण खातेदारी का इन्द्राज कर दिया जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही था तत्पश्चात बन्दोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिब आधारभूत जमाबंदी के अनुसार तहसीलदार अजमेर के तहतीय कार्यालय द्वारा नई रोटेशन जमाबंदी / वर्तमान अधिकार अभिलेख भी आधारभूत जमाबंदी अनुसार प्रार्थीया के नाम खातेदारी इन्द्राज के स्थान पर प्रेमी पुत्री लाला गुर्जर के नाम त्रुटिपूर्ण खातेदारी का इन्द्राज कर दिया , जिसकी दुरूस्ती की जाकर वर्किंग जमाबंदी में अंकित नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 6.08.1998 की परिष्टि एवं तत्पश्चात प्रार्थीया के नाम नामान्तरण संख्या 749 दिनांक 22.12.2007 से हुए खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि को वर्किंग खसरा नम्बर 545 रकबा 0–16–11 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 0.13 हैक्टर वर्किंग जमाबंदी की भांति वर्तमान अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जावे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्किंग जमांबदी में अंकित नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 6.8.1998 की परिष्टि एवं तत्पश्चात प्रार्थीया के नाम नामान्तरण संख्या 749 दिनांक 22.12. 2007 से हुए खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि को वर्किंग जमाबंदी की भांति यथावत वर्तमान अधिकार अभिलेख के खसरा संख्या 335 / 2936 रकबा 0.13 हैक्टर में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार अजमेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि ग्राम दौराई खसरा संख्या 545 रकबा 04–04–10 जरिये बंटवारा नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 23.3. 90 से प्रेम पुत्री लाला के नाम दर्ज हुई। उक्त खसरा में से प्रेम पुत्री लाला द्वारा बेचान करने पर खसरा संख्या 545 मिन 1–18–06 भूमि नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 15.7.95 से प्रेम प्रकाश अग्रवाल वगेरह के नाम दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 20.11.2006 से प्रेम पुत्री लाला द्वारा बेचान करने पर 545 मिन रकबा 1–9–13 पूजा साहु पत्नि कमलकान्त साहु के नाम दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 74 दिनांक 6.8.98 से बेचान होने पर खसरा नम्बर 545 मिन रकबा 0–16–11प्रेम पुत्री लाला के बजाय रमेश चन्द्र परयानी पुत्र कन्दोमल परयानी के नाम दर्ज हुई। रमेश चन्द परयानी द्वारा बेचान करने पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 545 मिन रकब 0–16–11 रमेश चन्द्र परयानी के बजाय रैना मूलचन्दानी के नाम दर्ज हुई। वर्किंग जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 1585 दिनांक 5.2.14 जरिये विरासत से खसरा

Scanned with CamScanner

संख्या 545 मिन रकबा 1—09—13 पर मृतक शान्ति देवी पत्नि लालाराम के स्थान पर वारिसान लालाराम पि. बख्तावर, भैरूलाल उगमचन्द (माता) पत्नि लालाराम के नाम अंकन दर्ज है। हाल जमाबंदी मेंखसरा संख्या 545 के नवीन खसरा संख्या 335/2936 प्रेम पुत्री लाला गुजर के नाम पुनः दर्ज है। उपरोक्त नामान्तकरण पर्चा वितरण की तिथि से पूर्व के होने के कारण इनका अमल नवीन जमाबंदी में नही किया जा सकता था जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल किया जाना उचित बताया गया है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । सरकार पैरोकार का प्रस्तुत जबाब में प्रार्थियां द्वारा चाही गई दुरूस्ती किया जाना उचित बताया गया। अतः प्रार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में होने के कारण स्वीकार कर ग्राम दौराई की जमाबंदी संवत् 2069—2072 के खाता सं. 340 में आराजी खसरा नम्बर 335/2936 रकबा 0.1300 हैक्टर पर जरिये नामान्तकरण प्रेम पुत्री लाला कौम गूर्जर के स्थान पर रेना मूलचन्दानी पुत्र श्री मनोहरलाल मूलचन्दानी जाति सिन्धी निवासी 1307/6 मलुसर रोड अजमेर (पूर्व नामान्तकरण 74 दिनांक 6.8. 1998 व 749 दिनांक 22.12.207 के आधार पर) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को पालना हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 18.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अंजली राजोरिया
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner